STUDY NOTES · BASIC CONCEPT

US Visa Update: H-1B पर प्रस्तावित

रोक और भारतीयों की बढ़ती

चिंता

Current Affairs
26 Apr 2025

नया बिल: क्या है “End H-1B Visa Abuse Act 2026”?

अमेरिका में H-1B वीजा को लेकर बहस तेज हो गई है। रिपब्लिकन सांसद Eli Crane ने “End H-1B Visa Abuse Act 2026” नाम का बिल पेश किया है। इस बिल का मकसद कथित रूप से H-1B सिस्टम के “दुरुपयोग ” को रोकना और अमेरिकी नागरिकों
के लिए नौकरियों की सुरक्षा बढ़ाना है। प्रस्ताव में नए H-1B वीजा
जारी करने पर करीब 3 साल तक रोक लगाने की बात कही गई है, जिससे विदेशी पेशेवरों के लिए अमेरिका में काम के अवसर सीमित हो सकते हैं।

H-1B वीजा कैसे काम करता है?
H-1B वीजा अमेरिका का एक Non-immigrant वर्क वीजा है, जिसके तहत कंपनियां
विदेशी विशेषज्ञों को “specialty occupations” (जैसे IT, इंजीनियरिंग , फाइनेंस) में नौकरी देती हैं। यह वीजा आमतौर पर 3 साल के लिए दिया जाता है,
जिसे 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है। आवेदन प्रक्रिया USCIS के जरिए होती है, जिसमें lottery system लागू होता है क्योंकि आवेदन संख्या बहुत
ज्यादा होती है।

OPT और H-4 EAD पर भी खतरा
केवल H-1B ही नहीं, बल्कि F-1 छात्रों के लिए Optional Practical Training (OPT) और H-4 वीजा धारकों के लिए Work Authorization (EAD) को भी खत्म करने की मांग उठ रही है।
इसका मतलब है कि विदेशी छात्र पढ़ाई के बाद अमेरिका में काम नहीं कर पाएंगे और H-1B वीजा धारकों के परिवार (खासकर spouses) की नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है।

?

H-1B , :

- IT
- (STEM Non-STEM)
- H-4 EAD

-USA

?

(proposal) , Canada, Australia United Kingdom

H-1B 3 , OPT H-4 EAD — “ vs ” , IT

BECOME IAS
AI-Powered UPSC Preparation by ZINKPOT